Order Sheet (Subsequent)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

CNR NUMBER 2013/00038

Number of Case P/245/ Year 2024

प्रेमसिंह Versus हरिसिंह के का.उ.व. हाल्य

U/s- 188 R.T.A. 1955-

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
17/4/26	पत्रावली पेश। ~~वकुलाये~~ वकील वादी उप०। वकुलवादी अंतिम बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश सुनाने हेतु आयन्दा दिनांक 23/04/26 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	
23/4/26	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस वकील वादी पर मनन किया गया। समस्त विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया गया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद भली भांति साबित न होने एवं सारहीन होने से खारिज किया जाता है। वाद अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 का विधिवत निर्णय एवं डिक्री फर्दी पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर [seal: सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर]	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर आर.ए.एस.

राजस्व मूलवाद सं. : P/245/2024 (GCMS No 2013/00038)

– : : अनवान् : : –

वादी :–

प्रेमसिंह पुत्र स्व. प्रतापसिंह जी गहलोत, जाति माली, निवासी– बड़ा बेरा, मण्डोर, जोधपुर (राजस्थान)।

बनाम्

प्रतिवादीगण :–

1. स्व. हरिसिंह के कायम मुकाम :–

   1/1. शीला देवी पुत्री स्व० हरिसिंह पत्नी विजयसिंह कच्छवाह माली, निवासी– रामपुरा कुटिया, कच्छवाह मेडिकल, रामपुरा तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।

   1/2. बसन्तीदेवी पुत्री स्व. हरिसिंह पत्नी स्व. जेठूसिंह जी सांखला, निवासी– खेमे का कुँआ, सांखलों का बास, जोधपुर।

   1/3. ललिता पुत्री स्व. हरिसिंह पत्नी अशोक जी माली परिहार, निवासी– बोड़ीवाला बेरा, माता का थान, जोधपुर।

   1/4. गेना पुत्री स्व. हरिसिंह पत्नी चन्दन जी परिहार माली, निवासी– प्रथम सी रोड़, जैन पापड़, सरदारपुरा, जोधपुर।
2. सुरेन्द्रसिंह पुत्र स्व. हरिसिंह जी गहलोत,
3. महेन्द्रसिंह उर्फ कालू पुत्र स्व. हरिसिंह गहलोत निवासीगण – फतेहबाग मण्डोर, जोधपुर।
4. जवाहरसिंह पुत्र स्व० हरिसिंह जी गहलोत निवासी–बड़ा बेरा, मण्डोर जोधपुर।
5. मोहनसिंह (मृतक)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

राजस्व वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री जे. गहलोत, राजेन्द्र सिंह एवं के.के. भाटी अधिवक्तागण वादी

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

— : : निर्णय : : — दिनांक : 23.04.2026

वकील वादी मय वादी ने जरिये अधिवक्ता एक राजस्व वाद बावत् स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया हैं कि –

वादी की व प्रतिवादीगण संख्या एक से पांच की खातेदारी की सयुंक्त कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1159 में 2.01 बीघा ग्राम मण्डोर प्रथम पटवार क्षेत्र मण्डोर प्रथम तहसील व जिला जोधपुर के बेरा, बडा बेरा मण्डोर में आयी हुई है। जिस पर वादी का भी अपने हिस्सो पर कब्जा काश्त है। वादी व प्रतिवादीगण के बीच वादग्रस्त कृषि भूमि से संबंधित फौजदारी मुकदमे चले। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या एक से पांच खसरा नम्बर 1159 में वादी के कब्जा सुदा हिस्से की जमीन/हिस्सा हडपने की नीयत से और जबरन कब्जा करने के उद्देश्य से दिनांक 21/7/2013 को दिनांक 2–3–4 ट्रीप वादी के हिस्से की कृषि भूमि पर खण्डे डाल दिये। वादी व प्रतिवादीगण संख्या एक से पांच के बीच इस वादग्रस्त खसरा का काफी वर्षो पूर्व मौखिक बंटवाडा हो चुका है। जिसका नक्शा वादी व प्रतिवादीगण के पिता व दादा द्वारा बनाया गया उसमे वादी व प्रतिवादी संख्या एक के पिता प्रतापसिंह के हिस्से को दर्शाया हुआ है और हरिसिंह व उसका पुत्र जवाहरसिंह प्रतिवादी संख्या 1 व 4 ने खसरा नम्बर 1159 के अपने हिस्से में पक्का मकान निर्मित कर लिया है जिसमें प्रतिवादी हरिसिंह व उसका पुत्र जवाहरसिंह मय परिवार काफी वर्षो से निवास कर रहे है। अब चुकी वादग्रस्त खसरे मे वादी के हिस्से की व वादी के बंट की 1/2 हिस्से जो कृषि भूखण्ड ही है वादी द्वारा या उसके पिता द्वारा आबादी में रूपान्तरित नहीं करवाया है। पूर्व में प्रतिवादीगण संख्या एक से चार खण्डे व 14/4/2013 को बजरी डाली थी व जान से मारने की वादी को धमकी दी थी वादी द्वारा कार्यवाही करने पर प्रतिवादीगण रूक गये पुनः प्रतिवादीगण जवाहरसिंह वगैराह ने दिनांक 21/7/2013 को वादग्रस्त कृषि भूखण्ड में 2–3–4 ट्रक खडडे डाल दिये है एवं वादी द्वारा मना करने पर वादी के साथ थापो मुक्को से मारपीट की एवं बिना किसी परिमिशन बिना किसी सक्षम अधिकारी से निर्माण स्वीकृति के वादी के कृषि भूखण्ड बनाप 3772 वर्गफुट में अवैध निर्माण बिना रूपानतरण करवाये करना चाहते है प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है यदि प्रतिवादीगण वादी को उसके कब्जा सुद भूखण्ड से जबरन बेदखल कर दिया जाता है, एवं अवैध निर्माण बिना स्वीकृति के कर दिया जाता है एवं वादी को उसके भूखण्ड के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न की जाती है तो वादी के अधिकारो का हनन होगा, वादी अपने भूखण्ड से मेहरूम हो जायेगा एवं प्रतिवादी हरिसिंह व जवाहरसिंह ने अपने रहवास हेतु वादग्रस्त खसरे सं. 1159 की कृषि

सहायक कलक्टर
(कास्ट ट्रेक) जोधपुर

भूमि में ही बिना किसी निर्माण स्वीकृति के अवैध रूप से मकान काफी वर्षों पूर्व बना लिया है इस कारण से उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है और अवैध निर्मित मकान प्रतिवादीगण संख्या एक से पांच के खर्चे से ध्वस्त कराने की आज्ञा दिया जाना आवश्यक है।

वादी के इस मुकदमे में खसरा नम्बर 1159 को लैंड होल्डर राजस्थान राज्य सरकार होने के कारण राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार प्रर्फोमा पक्षकार प्रतिवादी संख्या 6 बनाया गया है। जिसके विरूद्ध वादी ने कोई अनुतोष नहीं चाहा है। वादी को विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद कारण दिनांक 21/7/2013 को 2–3–4 ट्रक पत्थर वादी के कब्जे सुद भूखण्ड बनाप 3772 वर्गफुट में डाले, प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा करने का प्रयास एवं वादी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ है। वादी प्रतिवादी संख्या एक से पांच के विरूद्व निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है :–

(अ) वादी के पक्ष में प्रतिवादी संख्या एक से पांच के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादी के वाद के पैरा संख्या 1,3, 4 में वर्णित बनाप 3772 वर्गफीट व सम्पूर्ण खसरा नम्बर 1159 की वादी की हिस्से की कब्जा काश्त से बेदखल नहीं करे, सक्षम अधिकारी की निर्माण स्वीकृति/परमिशन के, बिना बंटवाड़ा के बिना अवैध निर्माण नहीं करे, जबरन कब्जा नहीं करे, वादी के कब्जे के अपने हिस्से के कृषि भूखण्ड के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित करने का आदेश फरमावे। प्रार्थी को बेदखल नहीं करे, पत्थर आसलेट छीणें नहीं डाले। बिना सम्पूर्ण खसरा नम्बर 1159 के 7544 वर्गफीट में सक्षम अधिकारी की निर्माण स्वीकृति से अवैध निर्माण नहीं करे और प्रतिवादीगण द्वारा अवैध बनाये गये जवाहरसिंह हरिसिंह के मकान को प्रतिवादीगण के खर्चे से ध्वस्त कराये जाने की आज्ञापक निषेधाज्ञा की डिक्री फरमावें।

(ब) अन्य कोई राहत जो वादी के हक में हो फरमायी जावें खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(स) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03 व 04 की ओर से अधिवक्ता श्री नथाराम चौधरी, सांगाराम चौधरी एवं दिनेश चौधरी ने वकालतनामा व जवाब दावा प्रस्तुत किया।

– प्रतिवादी संख्या 01 से 04 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया हैं कि :–

वादपत्र की पद संख्या 1 में वादी का यह लिखना गलत है कि इस पद में वर्णित खसरा नम्बर 1159 की भूमि रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा जो ग्राम मण्डोर प्रथम पटवार क्षेत्र मण्डोर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

प्रथम तहसील व जिला जोधपुर के बेरा बडा मण्डोर में आई हुई है। वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी, कब्जा एवं काश्त की कृषि भूमि है जबकि खसरा नम्बर 1159 की भूमि 2 बीघा 1 बिस्वा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता प्रतापसिंह व उनके भाई जीतमल, साहेबराम, मोहनसिंह व आनन्दसिंह व अन्य के खातेदारी, कब्जा एवं काश्त की भूमि है। जिस भूमि में आनन्दसिंह जी के पाँचों पुत्रों का संयुक्त रूप से हिस्सा 1/3 है। वादपत्र की पद संख्या 2 में वादी द्वारा मगा उर्फ लालू जी के वंश की जो वंशावली अंकित की गई है, पूर्ण रूप से सही नहीं होने से अस्वीकार है क्योंकि इस वंशावली में मगा उर्फ लालू की पूर्ण वंशावली अंकित नहीं की गई है। वादपत्र की पद संख्या 3 वादी द्वारा जिस प्रकार से अंकित की गई है, गलत होने से अस्वीकार है। इस पद में वर्णित खसरा नम्बर 1159 की भूमि को लेकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आज दिन तक कोई फौजदारी प्रकरण नहीं चला है। इस पद में वादी का यह लिखना गलत है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा खसरा नम्बर 1159 में वादी के कब्जासुद हिस्से की जमीन हडप करने की नियत से जबरन कब्जा करने के उद्देश्य से दिनांक 21.7.2013 को खण्डे डलवाये गये है। जबकि खसरा नम्बर 1159 की एक इंच जमीन पर भी वादी का आज दिन तक किसी भी प्रकार से कोई कब्जा एवं काश्त नहीं रहा है। उक्त खसरे की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का रहवासी मकान बना हुआ है। जिस मकान का निर्माण प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा वर्ष 2003 में करवाया गया है। जिसमें बिजली का संबंध प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से विद्यमान है।

वादपत्र की पद संख्या 4 का जबाब इस प्रकार है कि इस पद में वादी का यह लिखना गलत है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के बीच वादग्रस्त खसरा नम्बर 1159 की कुल भूमि का काफी वर्ष पूर्व मौखिक रूप से बंटवाडा हो चुका है। जिसका नक्शा वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता व दादा द्वारा बनाया गया। जिस नक्शे में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता प्रतापसिंह के हिस्से को दर्शाया गया है यह तमाम वाक्यात वादी द्वारा एक सोची समझी झूठी कहानी के रूप में अंकित किये गये है। जबकि ऐसा कोई बंटवाडा न तो आज दिन तक हुआ है ओर न ही कोई नक्शा बनाया गया है। इस पद में वादी का यह लिखना सही है कि खसरा नम्बर 1159 की भूमि पर प्रतिवादी हरिसिंह व उनके पुत्रों का मकान बना हुआ है परन्तु खसरा नम्बर 1159 की भूमि पर जो मकान प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का बना हुआ है, का निर्माण प्रतिवादीगण द्वारा वर्ष 2003 में ही करवा दिया गया था और जिस मकान में प्रतिवादीगण निरन्तर रूप से रहवास करते आ रहे है। इस पद में वादी का यह लिखना गलत है कि खसरा नम्बर 1159 की भूमि में वादी का हिस्सा 1/2 है और वादी के हिस्से की भूमि का नाप 3772 वर्गफीट है। यह तमाम वाक्यात वादी द्वारा बिना किसी आधार के अंकित किये गये है। जिनका सत्यता से कोई लेनादेना नहीं है। खसरा नम्बर 1159 की भूमि पर वादी का आज दिनांक तक कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा है। जब वादी का कब्जा ही नहीं

सहायक कलक्टर
(कास्ट ट्रेक) जोधपुर

रहा है तो वादग्रस्त भुखण्ड से प्रतिवादीगण द्वारा बेदखल करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। वादपत्र की पद संख्या 5 वादी द्वारा एक सोची समझी कहानी के रूप में जिस प्रकार से अंकित किये गये है, गलत होने से अस्वीकार है। दिनांक 4.4.2013 को प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नम्बर 1159 की भूमि पर न तो खण्डे व बजरी डलवाई गई है ओर न ही प्रतिवादीगण द्वारा वादी को किसी प्रकार की कोई धमकी ही दी गई है। खसरा नम्बर 1159 की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा वर्ष 2003 में ही मकान का निर्माण करवाया गया है। तब से ही प्रतिवादीगण द्वारा अपने मकान में रहवास किया जा रहा है जिसमें विद्युत संबंध प्रतिवादी जवाहरसिंह के नाम से चला आ रहा है, शेष खुली जमीन पर भी प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का ही कब्जा चला आ रहा है ओर जिस पर शुरू से ही प्रतिवादीगण के पत्थर डाले हुए पडे है। खसरा नम्बर 1159 की भूमि पर वादी का किसी भी प्रकार से आज दिन तक कोई कब्जा नहीं रहा है ऐसी स्थिति में कब्जे के अभाव में प्रतिवादीगण द्वारा वादी को बेदखल करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। वादी वादग्रस्त खसरा नम्बर 1159 की भूमि के बाबत किसी भी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्रतिवादी के विरूद्ध प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी नहीं है। वैसे भी वादी द्वारा खसरा नम्बर 1159 की भूमि पर प्रतिवादीगण को सहखातेदार होना व खसरा नम्बर 1159 की भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा होना स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है जिस कारण वादी द्वारा प्रस्तुत मात्र निषेधाज्ञा का वाद कानूनन चलने योग्य नहीं है ओर न ही कानूनन वादी सहखातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश व डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी ही है। वादपत्र की पद संख्या 6 का जबाब इस प्रकार है कि वादी द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत वाद में राजस्थान राज्य को पक्षकार प्रतिवादी संख्या 6 के रूप में संयोजित किया गया है व वाद प्रस्तुति से पूर्व धारा 80 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों अनुसार न तो प्रतिवादी संख्या 6 को नोटिस दिया गया है ओर न ही किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र पेश करते हुए नोटिस के अभाव में प्रतिवादी संख्या 6 के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने की अनुमति ही प्राप्त की गई है। जिस आधार पर भी वाद वादी कानूनन चलने योग्य नहीं है, अस्वीकार करते हुए खारिज किये जाने योग्य है। वादपत्र की पद संख्या 7 का जबाब इस प्रकार है कि इस पद में लिखे माफिक वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद पेश करने का किसी भी प्रकार से कोई वादकारण उत्पन्न नहीं होता है। वादपत्र की पद संख्या 9 का जबाब इस प्रकार है कि वादी अपने द्वारा प्रस्तुत इस गलत वादपत्र के जरिये इस पद में लिखे माफिक किसी प्रकार कोई अनुतोंष आदेश व डिकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वाद वादी सव्यय विशेष हर्जे सहित खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी संख्या 5 मोहनसिंह पुत्र माधाराम का खसरा नम्बर 1159 में किसी प्रकार से कोई हित, अधिकार व कब्जा नहीं है। प्रतिवादी संख्या 5 को वादी द्वारा अनावश्यक रूप से

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

पक्षकार बनाया गया है। वादी स्वयं के कथनानुसार खसरा नम्बर 1159 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है ओर जिस भूमि पर प्रतिवादीगण का रहवासी मकान बना हुआ है ओर जिसमें प्रतिवादीगण रहवास करते आ रहे है यानि खसरा नम्बर 1159 की भूमि पर प्रतिवादीगण अकेलों का सहखातेदार की हैसियत से कब्जा चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में खसरा नम्बर 1159 की भूमि के विभाजन बावत वाद प्रस्तुत किये बिना मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कानूनन चलने योग्य नहीं है, मात्र इसी आधार पर वाद वादी अस्वीकार करते हुए खारिज किये जाने योग्य है। अतः उत्तर वाद पेश कर निवेदन है कि उत्तर वाद प्रतिवादीगण स्वीकार करते हुए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अस्वीकार करते हुए खारिज फरमाया जावे, अन्य कोई उचित आदेश जो प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रतिवादीगण के हक में हो पारित किया जावे।

– प्रकरण में वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 बाबत् प्रतिवादी सं. 01 स्व. हरिसिंह के कायम मुकाम के संबंध में प्रतिवादी सं. 05 मोहनसिंह फौत होने से आदेशिका दिनांक 04.03.2025 को प्रतिवादी सं. 05 का जवाब बंद किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र आदेशिका दिनांक 07.05.2025 को स्वीकार किया गया और प्रतिवादी संख्या 01 के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिया गया। चुंकि प्रतिवादी संख्या 01 स्वयं के द्वारा पूर्व में जवाब दावा प्रस्तुत किया जा चुका हैं, इसलिए प्रतिवादी संख्या 01 के कायम मुकाम के जवाब की आवश्यकता नहीं है। तत्पश्चात् वादी/प्रार्थी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् प्रतिवादी सं. 05 का स्वर्गवास होने से वाद में पक्षकार के रूप में संयोजित उनका नाम विलोपित करने हेतु न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 09.06.2025 को स्वीकार किया गया और प्रतिवादी सं. 05 के नाम के आगे लाल स्याही से मृतक अंकित किया गया। प्रतिवादी संख्या 06 ने जवाब दावा प्रस्तुत नहीं करने का निवेदन किया अतः न्यायालय आदेशिका दिनांक 08.07.2025 को प्रतिवादी संख्या 06 का जवाब दावा बंद किया गया। प्रकरण में तनकियात् कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य के स्तर पर नियत की गई। प्रकरण में निम्नानुसार तनकियात् कायम की गई –

1. <u>विवाद्यक नं. 1</u> :– आया वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध ग्राम मण्डोर में स्थित आराजी खसरा नं. 1159 में वादी के वाद पत्र में वर्णनानुसार हिस्से के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। **–जिम्मे वादी**
2. <u>विवाद्यक नं. 2</u> :– आया प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार होने से वादी द्वारा विभाजन बाबत् वाद प्रस्तुत किये बिना मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का वाद कानूनन चलने योग्य नहीं है। **–जिम्मे प्रतिवादी सं. 01 से 04**

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

3. विवाद्यक नं. 3 :— आया वादी को वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ।

—जिम्मे प्रतिवादी सं. 01 से 04

4. विवाद्यक नं. 4 :— अनुतोष ?

– प्रतिवादी संख्या 01 से 04 को बार–बार रूक रूक कर आवाजें दिलवाने के बावजूद भी प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से आदेशिका दिनांक 22.12.2025 को प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली साक्ष्य के स्तर पर नियत की गई।

– वादी अधिवक्ता की ओर से श्री प्रेमसिंह पुत्र स्व. प्रतापसिंह जी गहलोत की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। गवाह प्रेमसिंह (PW-1) के बयान लेखबद्ध करवाये जाकर प्रदर्श अंकित करवाये गये। गवाह प्रेमसिंह (PW-1) के द्वारा जवाब दावे में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद में वर्णित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया। आदेशिका दिनांक 19.03.2026 के द्वारा वादी की ओर से अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना जाहिर किया गया, अतः साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के विरूद्ध पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही होने से, प्रतिवादी संख्या 05 फौत होने के कारण वाद में पक्षकार से विलोपित होने तथा प्रतिवादी संख्या 06 प्रफॉर्मा पक्षकार होने से साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई और पत्रावली अंतिम बहस हेतु नियत की गई।

वादी अधिवक्ता ने निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये –

1. ***AIR 1988 (BOMBAY) Page 108 Para 7***
2. ***RRD 1987 Page 330 Head Note 'C'***

वादी अधिवक्ता की अंतिम बहस सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात्, जवाब दावा एवं साक्ष्य वादी का अवलोकन व अध्ययन किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान् अध्ययन कर आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रकरण के संक्षेप तथ्य इस प्रकार हैं कि – वादी द्वारा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वादी ने यह कथन किया है कि वह एवं प्रतिवादीगण ग्राम मंडोर स्थित आराजी खसरा संख्या 1159 के संयुक्त खातेदार हैं तथा वह अपने हिस्से पर काबिज है। वादी का आरोप है कि दिनांक 21.07.2013 को प्रतिवादीगण द्वारा उसकी भूमि पर जबरन खण्डे डालकर अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया, अतः प्रतिवादियों को उसके कब्जे में हस्तक्षेप करने से स्थायी रूप से रोका जाए। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा प्रारंभ में उत्तर–वाद प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने वादी के कथनों का खंडन करते हुए अपने दीर्घकालिक कब्जे एवं निर्माणाधीन/निर्मित मकान का उल्लेख किया, परन्तु तत्पश्चात प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जिसके

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

परिणामस्वरूप दिनांक 22.12.2025 को उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। इसके उपरांत प्रतिवादी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुए, जबकि वादी द्वारा साक्ष्य में अपना मुख्य परीक्षण करवाया गया तथा प्रकरण बहस हेतु नियत कर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रकरण का तनकीवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार किया जाता है –

विवाद्यक नं. 1 :– आया वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध ग्राम मण्डोर में स्थित आराजी खसरा नं. 1159 में वादी के वाद पत्र में वर्णनानुसार हिस्से के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ?

– वादपत्र, वादी के शपथपत्र एवं मौखिक साक्ष्य (मुख्य परीक्षण) के अवलोकन से यह तथ्य स्थापित होता है कि वादी ने स्वयं को एवं प्रतिवादिगण को विवादित भूमि का संयुक्त खातेदार बताया है तथा अपने हिस्से पर कब्जा होने का दावा किया है। तथापि, वादी द्वारा अपने कथित विशिष्ट कब्जे के समर्थन में कोई स्वतंत्र, ठोस एवं प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

– यह भी अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा प्रारंभ में उत्तर–वाद प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने अपने दीर्घकालिक कब्जे एवं निर्मित मकान का उल्लेख किया, किन्तु बाद में उनके अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तथापि, यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने मात्र से वादी को स्वतः डिक्री प्राप्त नहीं हो जाती, बल्कि उसे अपना मामला विधिवत सिद्ध करना आवश्यक रहता है।

इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***Anathula Sudhakar Vs. P. Buchi Reddy*** में प्रतिपादित किया गया है कि जहाँ कब्जा विवादित हो, वहाँ केवल निषेधाज्ञा का वाद पर्याप्त नहीं है, बल्कि वादी को अपना स्पष्ट कब्जा सिद्ध करना आवश्यक होता है। अतः वादी अपने विशिष्ट कब्जे को प्रमाणित करने में असफल रहा है और मात्र संयुक्त खातेदारी के आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा का अधिकार स्थापित नहीं कर सका।

यह विवाद्यक वादी के विरुद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक नं. 2 :– आया प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार होने से वादी द्वारा विभाजन बाबत् वाद प्रस्तुत किये बिना मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का वाद कानूनन चलने योग्य नहीं हैं ?

सहायक कलक्टर
(कास्ट ट्रेड) जोधपुर

– रिकॉर्ड से यह निर्विवाद रूप से स्थापित है कि विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की है तथा उसका विधिक विभाजन नहीं हुआ है। वादी ने मौखिक बंटवारे का उल्लेख किया है, किन्तु उसका कोई वैधानिक या अभिलेखीय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।

– विधि का स्थापित सिद्धांत है कि सह–खातेदारों के मध्य विवाद की स्थिति में प्रत्येक सह–खातेदार सम्पूर्ण भूमि का सह–अधिकार रखता है और किसी विशिष्ट भाग पर निषेधाज्ञा तभी दी जा सकती है जब पृथक कब्जा स्पष्ट रूप से सिद्ध हो या विधिवत विभाजन हो चुका हो।

इस संबंध में ***Ram Saran Vs. Ganga Devi*** तथा ***Bachan Singh Vs. Swaran Singh*** में यह प्रतिपादित किया गया है कि सह–खातेदारों के बीच उचित उपाय विभाजन वाद है, न कि केवल ***injunction.*** अतः वादी द्वारा विभाजन वाद प्रस्तुत किए बिना केवल स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करना विधि की दृष्टि से पोषणीय नहीं है।

यह विवाद्यक प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पक्ष में सिद्ध किया जाता है।

विवाद्यक नं. 3 :– आया वादी को वाद कारण (Cause of Action) उत्पन्न नहीं हुआ ?

– वादी द्वारा यह कथन किया गया कि दिनांक 21.07.2013 को प्रतिवादीगण द्वारा जबरन खण्डे डालकर अतिक्रमण किया गया तथा उसे धमकी दी गई। तथापि, वादी द्वारा इस कथन के समर्थन में कोई स्वतंत्र साक्ष्य, जैसे प्रत्यक्षदर्शी गवाह, रिपोर्ट, या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।

– यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुए, परंतु वादी पर यह दायित्व बना रहता है कि वह अपने कथनों को विश्वसनीय साक्ष्य से सिद्ध करे।

– विधि का स्थापित सिद्धांत है कि वादकारण तभी उत्पन्न माना जाएगा जब अधिकार के उल्लंघन का स्पष्ट एवं प्रमाणित तथ्य सामने आए। अतः वादी अपने कथित वादकारण को प्रमाणित करने में असफल रहा है।

यह विवाद्यक वादी के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक नं. 4 :– अनुतोष ?

उपरोक्त सभी विवाद्यकों के निष्कर्षों से यह स्पष्ट है कि वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं।

– वादी द्वारा अपने पक्ष में जो न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए गए हैं, उनका परीक्षण करने पर यह पाया गया कि वे वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से पूर्णतः मेल नहीं खाते। अतः वे निर्णय हस्तगत प्रकरण पर यथावत (हूबहू) लागू नहीं होते।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जोधपुर

– इसके विपरीत, उपर्युक्त उद्धृत न्यायिक सिद्धांत इस प्रकरण पर अधिक उपयुक्त रूप से लागू होते हैं, जिनसे यह स्पष्ट है कि सह–खातेदारी विवाद में उचित उपाय विभाजन वाद है।

उपर्युक्त विवेचन, अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों एवं विधिक सिद्धांतों के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा तथ्यों एवं विधि के आधार पर पोषणीय नहीं होने से वाद निरस्त किया जाना विधि सम्मत एवं उचित रहेगा।

– : : **आदेश** : : –

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वादी का वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 तथ्यों एवं विधि के आधार पर पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्त/खारिज किया जाता हैं। पक्षकार अपने–अपने व्यय स्वयं वहन करेंगे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मधुलिका सींवर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 23.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मधुलिका सींवर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

डिक्री बमूजबनी इबारत
(ऑर्डर 21 रूल 3, 4)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सौंगर आर.ए.एस.

राजस्व मूलवाद सं. : P/245/2024 (GCMS No 2013/00038)

— : : अनवान : : —

वादी :—

प्रेमसिंह पुत्र स्व. प्रतापसिंह जी गहलोत, जाति माली, निवासी बड़ा बेरा, मण्डोर, जोधपुर (राजस्थान)।

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. स्व. हरिसिंह के कायम मुकाम :—

1/1. शीला देवी पुत्री स्व० हरिसिंह पत्नी विजयसिंह कच्छवाह माली, निवासी— रामपुरा कुटिया, कच्छवाह मेडिकल, रामपुरा तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।

1/2. बसन्तीदेवी पुत्री स्व. हरिसिंह पत्नी स्व. जेठूसिंह जी सांखला, निवासी— खेमे का कुँआ, सांखलों का बास, जोधपुर।

1/3. ललिता पुत्री स्व. हरिसिंह पत्नी अशोक जी माली परिहार, निवासी— बोडीवाला बेरा, माता का थान, जोधपुर।

1/4. मैना पुत्री स्व. हरिसिंह पत्नी चन्दन जी परिहार माली, निवासी— प्रथम सी रोड, जैन पापड़, सरदारपुरा, जोधपुर।

2. सुरेन्द्रसिंह पुत्र स्व. हरिसिंह जी गहलोत,
3. महेन्द्रसिंह उर्फ कालू पुत्र स्व. हरिसिंह गहलोत निवासीगण — फतेहबाग मण्डोर, जोधपुर।
4. जवाहरसिंह पुत्र स्व० हरिसिंह जी गहलोत निवासी—बड़ा बेरा, मण्डोर जोधपुर।
5. मोहनसिंह (मृतक)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

राजस्व वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपरोक्तानुसार राजस्व वाद बाबत् 188 आर.टी.एक्ट. में श्री जे. गहलोत, राजेन्द्र सिंह एवं के.के. भाटी विद्वान अधिवक्तागण वादी ने हाजरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

प्रस्तुत वाद में खसरा नम्बर 1159 में 2.01 बीघा ग्राम मण्डोर प्रथम पटवार क्षेत्र मण्डोर प्रथम तहसील व जिला जोधपुर भूमि के संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तथ्यों एवं विधि के आधार पर पोषणीय नहीं होने से वाद निरस्त/खारिज किया गया। जिसकी पालना में तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **23.04.2026** को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लीज.....×.....मुबलिक.....×.....बावत्.....×.....खर्चा इस मुकदमें के मय सुदवगैरह.....×.....की सदीसलाना आज तारीख से तारीख वसूलयाबीतक.....×.....अदाकरें।

वसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख **23.04.2026** की जारी की गई।

(मधुलिका सींवर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

मुदाई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प जारी दावा			स्टाम्प जारी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
खर्चा अह्वान्			खर्चा अह्वान्		
बावत् इजराज हुक्मनामा			बावत् इजराज हुक्मनामा		
मतफरिक			मतफरिक		

नोट : इस खर्च के फार्म पर यदि फरीकेन या वाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

(मधुलिका सींवर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर